न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—डॉ.रविन्द्र गोस्वामी,I.A.S.

प्रकरण संख्या —46 / 2024 (अपील)
जीसीएमएस नं0 2024 / 139

1. हेमराज पुत्र कान्हा जाति चारण निवासी रामगढ पोस्ट मांदलिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा
2. मोहनलाल पुत्र नारायण जाति भाट निवासी रामतलाई तहसील लाडपुरा जिला कोटा
3. रामकिशन पुत्र श्रीराम जाति गुर्जर निवासी रामतलाई तहसील लाडपुरा जिला कोटा

——अपीलाण्ट.

बनाम

1. रामदेव पुत्र छोगाराम जाति मीणा निवासी ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा
2. जीवा पुत्र पूरालाल जाति चारण
3. बाबूलाल पुत्र मांगीलाल निवासीगण रामतलाई पोस्ट मांदलिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा

——रेस्पोडेन्ट.

अपील विरूद्व अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश दिनांक 26.3.2024 न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा कोटा मिसल नं0 30 / 2023 धारा 183—बी रा0टी0एक्ट

उपस्थित—

1. श्री ललित नागर अभिभाषक अपीलान्ट

निर्णय

दिनांकः— 25.03.2025

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट नं0 1 के प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण अन्तर्गत 183—बी में दर्ज कर दिनांक 31.10.2022 को अप्रार्थीगण बाबूलाल पुत्र मांगीलाल, रामकिशन पुत्र श्रीराम, मोहनलाल पुत्र नारायण जाति भाट जीवा पुत्र पूरालाल, हेमराज पुत्र कान्हा चारण का अनाधिकृत कब्जा पाया जाने पर अतिक्रमियों के बेदखली के आदेश पारित किये गये, उक्त आदेश की अपील हेमराज द्वारा इस न्यायालय में की जाने पर इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 31 / 2023 निर्णय दिनांक 3.10.2023 से अपील आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार लाडपुरा को प्रतिप्रेषित की गई थी की प्रकरण में अपीलांट को भी सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए रेस्पोडेन्ट नं0 1 की भूमि के साथ साथ अपीलांट एवं अन्य पडोसी खातेदारों की भूमि का भी सीमाज्ञान कराया जाकर रेस्पोडेन्ट नं0 1 को उनकी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 75 रकबा 1.55 हे0 भूमि सुपुर्दगी में दी जाने हेतु आदेशित किया गया था । आदेश की पालना में तहसीलदार लाडपुरा द्वारा पुनः प्रकरण संख्या 30 / 2023 दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रकरण में सुनवाई करते हुए दिनांक 26.3.2024 को निर्णय पारित करते हुए अप्रार्थीगण को प्रार्थी की आराजी से बेदखल कर कब्जा प्रार्थी को सम्भलाया जाने तथा अतिक्रमण हो तो ध्वस्थ किया जाने के आदेश पारित किये गये ।

जिला कलक्टर
कोटा

2. उक्त निर्णय दिनांक 26.03.2024 की अप्रसन्नता में अपीलान्ट हेमराज द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 08.07.2024 को प्रस्तुत की है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.3.2024 को विधि द्वारा स्थापित सिद्वांतों के विरूद्व जाकर व वादग्रस्त भूमि की पूर्व की व वर्तमान कब्जा काश्त की स्थिति के विरूद्व जाकर निर्णय पारित किया है ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु रजिस्टर्ड सम्मन जारी किये गये,नोटिस बाद तामिल प्राप्त रेस्पोडेन्टगण स्वयं उपस्थित हुए किन्तु रेस्पोडेन्टगण द्वारा कोई अपना अधिवक्ता नियुक्त नहीं किया । ओर ना ही प्रस्तुत अपील के सम्बन्ध में अपना अभिकथन प्रस्तुत किया है । रेस्पोडेन्टगण की अनुपस्थिति दर्ज की जाकर अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना उचित होने से वकील अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

4. वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट नं0 1 रामदेव पुत्र छोगा जाति मीणा ने एक प्रार्थना पत्र धारा 183–बी आर टी एक्ट के तहत अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर निवेदन किया कि उसको आवंटित की गई भूमि खसरा नम्बर 75 की रकबा 1.55 हे0 ग्राम हीरापुर पर अप्रार्थीगण द्वारा कब्जा कर रखा है और उन्हें बेदखल किया जावें इस पर पटवारी हल्का मांदलिया से अधीनसथ न्यायालय ने दिनांक 21.3.2024 को मौके की एकपक्षीय रिपोर्ट मंगवाकर अपीलांट व अन्य अप्रार्थीगण से जवाब लेकर दिनांक 26.3.2024 को निर्णय पारित कर अपीलांट को बेदखल किए जाने हेतु पारित कर दिया गया । उक्त निर्णय नोन स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में आता है । चूंकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा पेश किए गए जवाब को कंसीडर किए बिना ही जवाब का विश्लेषण किए बिना ही आलौच्य निर्णय पारित किया है जो बिना पत्रावली व मौके पर पूर्व के कब्जे काश्त व वर्तमान कब्जे काश्त की स्थिति का अवलोकन किए बिना ही पारित किया गया है जो निरस्त किए जाने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया था कि पटवार हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट दिनांक 19.3.2024 में यह स्पष्ट नहीं है कि प्रार्थी रेस्पो0 की भूमि पर किस ओर कितनी भूमि पर कब्जा है मात्र अनुसूचित जाति का होने का नाजायज फायदा उठाकर न्यायालय से गलत आदेश पारित करवाना चाहता है । साथ ही अपीलांट ने यह भी निवेदन किया था कि रेस्पो0 के मामले में धारा 183–बी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है । चूंकि आवंटित जमीन खसरा नम्बर 75 पर रेस्पो0 रामदेव पुत्र छोगा का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है और ना ही आज है । सन 1989 में रेस्पो0 भूमि आवंटित होना बताता है । इस प्रकार रेस्पो0 का 35 वर्ष से भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है । ऐसी स्थिति में रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र धारा 183–बी के तहत पोषणीय नहीं था एवं प्रार्थना पत्र ही मियाद बाहर था । रेस्पोडेन्ट को बेदखल का वाद प्रस्तुत करना चाहिए था और उसके लिए कानून में 12 वर्ष की समय सीमा निर्धारित है ओर रेस्पोडेंट के लिए कब्जा प्राप्त करने की समयावधि कानून समाप्त हो चुकी थी इसलिए रेस्पोडेंट ने चालाकी से 183–बी के तहत गलत रूप से प्रार्थना पत्र आलोचित आदेश पारित करवाया है जो प्रथम दृष्टया ही कानून के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है । वास्तविकता यह है कि रेस्पोडेंट के पक्ष में किए गए आवंटन को कब्जा काश्त भूमि पर नहीं होने के आधार पर निरस्त करना चाहिए था ओर कानून की स्थिति स्पष्ट है कि यदि आवंटी का लगातार कब्जा काश्त नहीं है तो ऐसे आवंटी के आवंटन को निरस्त किया जाना आवश्यक था । पटवारी की रिपोर्ट में यह मौके की स्थिति निकलकर आई है कि खसरा नम्बर 75 की रकबा 1.55 हे0 में से 0.60 हे0 भूमि मौके पर खाली पडी है । 0.18 हे0 भूमि मौके पर रास्ता बना हुआ है जिसका उपयोग ग्रामवासी जंगल में आने जाने के लिए करते है । इस प्रकार प्रार्थी रेस्पोडेंट का आवंटित भूमि के किसी भी भाग पर कब्जा काश्त होना प्रकट नहीं है बल्कि आवंटित भूमि पर रास्ता होना स्पष्ट है और रास्ते की भूमि का आवंटन नहीं हो सकता । चूंकि आवंटित भूमि खसरा नम्बर 75 की रकबा 0.18 हे0 पर 3 गांवों का रास्ता प्रारम्भ से रहा है एवं आज भी रास्ता मौजूद है जिसकी पुष्टि की जा सकती है फिर भी रेस्पोडेंट ने खातेदारी प्राप्त कर यह आवेदन गलत रूप से पेश किया है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय गलत, अवैध, गैर कानूनी होने से निरस्तनीय है । अपीलांट ने खातेदारी व कब्जे की आराजी खसरा नम्बर 501/75 की रकबा 1 हेक्टेयर ग्राम हमीरपुर पटवार हल्का मांदलिया, में स्थित चली आ रही है और उक्त आराजी पर अपीलांट नं0 1 ने 24 वर्ष पूर्व कुंआ खुदवाया हुआ है जिससे अपीलांट अपनी जमीन की सिंचाई करता है उक्त कुंए वाली हिस्सा आराजी को गलत रूप से रेस्पो0 नं0 1 अपनी आराजी में होना बताकर कब्जा करना चाहता है और इस सम्बन्ध में हल्का पटवारी द्वारा कोई रिपोर्ट मौके पर जाकर तैयार नहीं की गई । इस प्रकार

जिला कलक्टर
कोटा

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट पर आदेश पारित किया है । वकील अपीलांट ने मियाद के बिन्दु के सम्बन्ध में कथन किया अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रस्तुत होने के बाद वकील द्वारा प्रत्येक पेशी पर आने के लिए मना करने एवं निर्णय की जानकारी उनके द्वारा नहीं बताने से जानकारी नहीं हो पाई तत्पश्चात थानाधिकारी मण्डाना द्वारा दिनांक 23.6.2024 को निर्णय की जानकारी देने पर हुई । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.3.2024 निरस्त फरमाया जावें तथा आवंटित वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेंट नं0 1 का प्रारमभ से कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन निरस्त फरमया जाकर भूमि को सरकार सिवायचक दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करें ।

5. हमने वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट द्वारा यह अपील तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रार्थी रेस्पो0 नं0 1 के प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश दिनांक 26.3.2024 से प्रार्थी रेस्पोडेन्ट रामदेव की भूमि से अप्रार्थी अपीलांट को बेदखली के आदेश होने पर धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 08. 07.2024 को पेश की गई है जो अवधि बाधित है । मियाद के शमन के लिए लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है तथा विलम्ब के लिए बताये गये कारणों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना उचित होने से धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर अवधि मानी जाती है ।

6. प्रस्तुत अपील में वकील अपीलान्ट का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायालय जिला कलक्टर कोटा के पूर्व निर्णय दिनांक 03.10.2023 की पालना में आस पास की सभी भूमियों का सीमाज्ञान नहीं कराया गया है । पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 19. 3.2024 में यह स्पष्ट नहीं है कि किस ओर कितनी भूमि पर कब्जा है । । आवंटी रामदेव पुत्र छोगा को 1989 में आवंटित होना बताया है किन्तु 35 वर्ष से भूमि पर कब्जा नहीं है तथा कब्जा प्राप्त करने के लिए कानून अनुसार 12 वर्ष की समय सीमा निर्धारित है और रेस्पोडेन्ट के लिए कब्जा प्राप्त करने की समयावधि कानून समाप्त होने का तथ्य अंकित किया है तथा में 183 बी के तहत पोषणीय नहीं बताया है । वकील अपीलान्ट द्वारा आगे यह भी कथन किया है कि खसरा नं0 75 की रकबा 1.55 हे0 में से 0.60 हे0 भूमि खाली पडी है 0.18 हे0 भूमि पर मौके पर रास्ता बना होना एवं 3 गांवों के लोगों के लिए उपयोग में आने का तथ्य अंकित किया है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि वास्तव में उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नं0 75 रकबा 1.55 हे0 रेस्पो0 नं0 1 रामदेव को आवंटनशुदा भूमि होकर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है, खातेदारी अधिकार कब्जा काश्त होने की शर्त पर ही प्राप्त होते है । ऐसी स्थिति में अपीलांट का कथन उचित नहीं है कि रेस्पोडेन्ट का उक्त आवंटित भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा है ओर आवंटन निरस्त योग्य है पूर्व में कब्जा काश्त के आधार पर ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए है । वास्तव में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की भूमि पर अपीलांट के साथ साथ अन्य लोगों का भी नाजायज कब्जा होना जाहिर आया है तथा रेस्पोडेन्ट अनुसूचित जन जाति का व्यक्ति है, ऐसी स्थिति में अन्तर्गत धारा 183–बी रा0टी0एक्ट के तहत तहसीलदार लाडपुरा द्वारा कार्यवाही करते हुए आदेश दिनांक 26.03.2024 से प्रार्थी रेस्पो0 रामदेव की खातेदारी भूमि पर से अप्रार्थीगण को बेदखली का आदेश पारित किया है जो विधि अनुरूप है। तहसीलदार लाडपुरा का आदेश उचित होने से अपील स्वीकार योग्य नहीं पाते है ।

7. उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट स्वीकार करने के पर्याप्त एवं ठोस विधिक आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.03.2024 विधि अनुरूप होने से किसी प्रकार से हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं है ।

8. निर्णय आज दिनांक 25.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा